निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 89/12 सावा 57 पत्र
दायरा दिनांक :– 04.07.2012
निर्णय दिनांक :– 9.5.17

उनवान

1. मन्ना पुत्र काना जाति भील
2. बंशी पुत्र काना जाति भील निवासीगण अजनावर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान।

बनाम

1. लटूर पुत्र कालू जाति भील
2. छोटेलाल पुत्र कालू जाति भील निवासीगण अजनावर तहसील छीपाबडौद (मृतक) के कायम मुकामान
   2/1 तुलसा बाई पत्नि छोटेलाल
   2/2 हंसराज पुत्र छोटेलाल
   2/3 बनवारी पुत्र छोटेलाल
   2/4 मोहनीबाई पुत्री छोटेलाल जाति भील निवासी अजनावर तहसील छीपाबड़ौद।
3. श्री शाखा एजेन्ट सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छीपाबड़ौद जिला बारां
4. राज्य सरकार द्वारा श्री तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां
5. राज्य सरकार श्री उप पंजीयक अधिकारी छीपावड़ौद जिला बारां राज.।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 9.5.17

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री दीनदयाल वादी
2. श्री कृष्ण मुरारी पारिक प्रतिवादी
3. श्री अशोक पारिक

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 ,89, 91, 92 ए, 188 आर.टी.एक्ट प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण ने उक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय मे पेश कर दिया कि जिसमें कामयाबी की पूरी–पूरी आशा है। ग्राम कांकडदा पटवार हल्का अजनावर तहसील छीपाबड़ौद मे खाता संख्या 38/37 मे भूमि खसरा नंबर 148/25 रकबा 12 बीघा जमनालाल बंशी, मन्ना, रामकेदार पुत्र व भॅंवरी बेवा काना कौम भील सा. अजनावर दर्ज है, भॅवरी की मृत्यु हो गई है। प्रार्थीगण के पास मात्र 3–3 बीघा हिस्से व

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

कब्जे मे दी है। उक्त भूमियात से लगवा ग्राम कांकडदा पटवार हल्का अजनावर तहसील छीपाबडौद मे खाता संख्या 119/117 की खसरा नंबर 146/25 रकबा 12 बीघा लदूर, छोटूलाल अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 के नाम खाता दर्ज है। यह भूमि 40–45 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को एलोट हुई है, पर निरन्तर बिना किसी रूकावट के अलोटमेन्ट के समय से प्रार्थीगण के पिता काना के साथ-साथ व पिता काना की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है, गत वर्ष सोयाबीन प्रार्थीगण द्वारा बोई थी, जो प्रार्थीगण द्वारा काटी गई है, इस साल भी भूमि हांक जोतकर तैयार कर ली है, और शीघ्र ही फसल की बुआई शुरु हो जावेगी।

प्रार्थीगण के खाते की भूमि जो मद नम्बर 2 मे दर्ज है से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नंबर 146/25 लगी हुई है, जिसमें प्रार्थी नम्बर 1 का 4 बीघा व प्रार्थी नम्बर 2 का 4 बीघा पर निरन्तर कब्जा काश्त 40–45 साल से चला आ रहा है, कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी हो गये है, अतः बहैसियत खातेदार कृषक घोषित् कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें। दिनांक 21.06.2012 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भूमियात से बेदखल करने व भूमि विक्रय की धोंस दी और गाली गलौच पर आमादा हुये अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पांबद किया जावे कि प्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमि व कब्जे वाली भूमि खसरा नंबर 146/25 मे से 4–4 बीघा से बेदखल नही करे, प्रार्थीगण को कब्जा काश्त मे रूकावट नही करे, शांतिपूर्ण काश्त करने देवे एवं अप्रार्थी नम्बर 4 भू स्वामी है यथावत खाता रहने देवे परिवर्तन नही करे तथा अप्रार्थी नम्बर 5 उप पंजीयन अधिकारी है, भूमि नम्बर 146/25 का अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 द्वारा किसी भी प्रकार का तहरीरी दस्तावेज प्रतिवादी नम्बर 5 के समक्ष पंजीयन नही कराये अप्रार्थी नम्बर 5 भी पंजीयन है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द नही किये तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति अर्थ से नही हो सकेगी। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 21.06.2012 को पैदा हुआ। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे विद्यमान है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही हुयी तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी, तथा प्रार्थीगण को अनेको मुकदमे बाजी मे उलझकर समय व धन की अपरिमित क्षति उठानी पड़ेगी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से जवाब प्रार्थना–पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ, जिसका जवाबुल जवाब प्रार्थी द्वारा पेश किया गया। प्रार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम कांकडदा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 38 पेश कि गई। नकल जमाबन्दी ग्राम कांकडदा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 119 पेश की गई। मन्ना पुत्र काना एवं बंशी पुत्र काना के शपथ–पत्र पेश किये गये।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है, कि ग्राम कांकडदा मे खसरा नंबर 148/25 रकबा 12 बीघा प्रार्थीगण के नाम आंवटन हुई थी। इसी के लगवा खसरा नंबर 146/25 रकबा 12 बीघा भूमि हमारे लगवा जब से हमे खसरा नंबर 148/25 भूमि आंवटन हुयी तभी से खसरा नंबर 148/25 मे कुछ भूमि 8 बीघा पर प्रार्थीगण व शेष 4 बीघा पर जसोदा काबिज है, जो भूमि खसरा

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

आधार पर कोई भी बनवा सकता है। मैने जो दस्तावेज पेश किये है, उनको बोकस बता रहे है। वह गलत है। कोई आधार नही है। शीला देवी को विक्रय शुदा भूमि की पैमाईश हुई है। उसी की मौका रिपोर्ट पेश की है। मेरा उक्त भूमि पर कब्जा है। मुझे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें। यह मुझे बेदखल नही करे, मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। मेरा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावें।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कांकडदा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 38 के अनुसार जमनालाल, बंशी, मन्ना, रामकेदार पुत्र व भवरी बेवा कान्हा कोम भील के, खसरा नंबर 148/25 रकबा 12 बीघा खाते दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम कांकडदा सम्वत् 2068–71, खाता संख्या 119 में लटूरलाल, छोटेलाल आत्मज कालू कोम भील के खसरा नंबर 146/25 रकबा 12 बीघा खाते दर्ज होना पाया जाता है। प्रस्तुत नकल सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी धारा 89 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 127/10 आदेश दिनांक 31.01.2011 के अनुसार खसरा नंबर 146/25 रकबा 12 बीघा की पैमाईश कर पत्थर गढ़ी तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा ग्रामवासियान की मौजूदगी में की गई। इससे यह साबित होता है, किं विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। प्रार्थीया द्वारा खातेदारी एवं कब्जे बाबत् ऐसा कोई सबूत व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया, जिससे प्रार्थीया का कब्जा काश्त व खातेदारी साबित हो सके। प्रार्थीया कब्जा व खातेदारी साबित करने में विफल रही है। प्रथम दृष्टया प्रार्थना–पत्र व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष नही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना, एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है, तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया को ता फैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि वाके ग्राम कांकडदा के खसरा नंबर 146/25 रकबा 12 बीघा में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner